राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1189/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
शंकर लाल कटारा रामाकूंवर स्कूल के पास] न्यू कॉलोनी डूंगरपूर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 02-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री प्रीतम कोहली, एवं श्री भगवती प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 6-3-17 के द्वारा डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति को डूंगरपुर जिले का प्रभारी बनाने के आदेश आदि के सम्बन्ध में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 5-7-17 के उपरान्त भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 28-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया। निवेदन किया कि पत्र दिनांक 6-3-18 से बिन्दुवार सूचना प्रेषित कर दी गई थी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 28-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त